

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही गय इनिशियल्स जज
राजस्व वाद संख्या 211/2010 अनवान भाणू बनाम सिमस्था

आदेश

23.10.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवागण अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण को दिनांक 12.09.2017 से लगातार प्रतिवादीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। वादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नहीं ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार वादीगण ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर